



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64840-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स क्रमांक - 1833 वर्ष 2026

एम/एस जितेंद्र कंस्ट्रक्शन

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आदित्य पांडे, हिमांशु मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:-

"I. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की कर अवधि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यूपीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत दिनांक 6.8.2024 को पारित विवादित आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक-1) को रद्द करने के लिए उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

II. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.5.2024 को जारी प्रपत्र जीएसटी डीआरसी-01 में विवादित नोटिस (रिट याचिका का अनुलग्नक-2) को रद्द करने के लिए उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इस न्यायालय के समन्वय पीठ के महावीर ट्रेडिंग कंपनी बनाम उप आयुक्त राज्य कर मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हैं, जो 2024 यू.पी.टी.सी. (117) 734 में प्रकाशित हुआ है। उक्त फैसले के पैराग्राफ 8, 9, 10, 11 और 12 नीचे दिए गए हैं:-

"8. इस प्रकार, रिकॉर्ड पर यह स्थापित हो चुका है कि तीनों तिथियों पर याचिकाकर्ता को संबंधित कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक अवसर पर अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन उत्तरों को विवादित आदेश में उद्धृत किया गया है। 27.10.2022 को प्रस्तुत उत्तर को रिकॉर्ड करने के बाद, निर्णय प्राधिकारी ने प्रस्तुत उत्तरों के गुण-दोष पर विचार करना चुना और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि न तो निर्णय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और न ही मौखिक सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई और नोटिस दिया, और न ही याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया।

10. पूछे जाने पर, माननीय अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि अन्य मुकदमों में देखी गई इसी तरह की घटनाओं के आलोक में, उन्होंने वाणिज्यिक कर आयुक्त को सूचित किया था। इसके फलस्वरूप, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उत्तर प्रदेश ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1406 दिनांक 12.11.2024 जारी किया है। यह सभी अतिरिक्त आयुक्तों को संबोधित है ताकि इसे सभी क्षेत्रीय इकाइयों को आवश्यक अनुपालन के लिए सूचित किया जा सके। इसकी एक प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है। यह इस प्रकार है:

“1. जिस कॉलम में व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि का उल्लेख किया जाना है, उसमें केवल 'अनुमति नहीं' लिखा है और कोई तिथि नहीं लिखी है।

2. जिस कॉलम में व्यक्तिगत सुनवाई के समय का उल्लेख किया जाना है, उसमें केवल 'अनुमति नहीं' लिखा है और सुनवाई के समय का उल्लेख नहीं किया गया है।

3. कुछ मामलों में, व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि उस तिथि से पहले दी गई है जिस पर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करना होता है - यह अमान्य है और इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तिथि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि से निश्चित रूप से पहले होनी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. कुछ मामलों में, व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि उसी तिथि पर दी गई है जिस पर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करना होता है - यह अमान्य है और इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के उत्तर की तिथि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि से निश्चित रूप से पहले होनी चाहिए।

5. सभी मामलों में यह देखा गया है कि अधिनियम की धारा 73(9)/74(9) आदि के तहत आदेश पारित करने की तिथि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि के अनुरूप नहीं है। यह सर्वविदित कानून है कि आदेश की तिथि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि पर ही पारित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एस.सी.एन. का उत्तर देने की तिथि 15.11.2023 है और व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि 17.11.2023 है, तो आदेश की तिथि 17.11.2023 होनी चाहिए।

11. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी प्रतिकूल आदेश पारित होने से पहले, न्याय प्रक्रिया में, नोटिस प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि नोटिस प्राप्तकर्ता इस अधिकार को त्यागने का विकल्प चुनता है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न्याय प्राधिकारी के पास (उन परिस्थितियों में) मामले की योग्यता के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करने का अवसर हो। इसके अलावा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद भी, नोटिस प्राप्तकर्ता इसका लाभ न उठाए। ऐसी स्थितियों को छोड़कर, हम ऐसी किसी प्रथा को पनपने या अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दे सकते, जहां न्याय प्रक्रिया का सामना कर रहे व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने से इनकार किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. अतः, विधि की दृष्टि से विवादित आदेश मान्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। ऐसे मामलों में वैकल्पिक उपचार का स्वतः लगाया गया प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। यदि इसे लागू किया भी जाता है, तो इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। वास्तव में, यह न्याय के हित के विरुद्ध होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अपील प्राधिकारी को कार्यवाही को वापस भेजने का अधिकार नहीं है।”

4. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कार्यवाही की शुरुआत और पहला कारण बताओ नोटिस अनुचित था, और इसलिए पूरी कार्यवाही ही गलत थी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर देने की तिथि 18.06.2024 थी, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि इससे पहले की है और 03.06.2024 थी। इसी के आलोक में, उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकारियों ने उचित नोटिस जारी नहीं किया है, इसलिए इसके तहत की गई कोई भी कार्यवाही कानून की दृष्टि से गलत है।

5. हमने महावीर ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले का अध्ययन किया है और हमारी राय में, उसमें निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होते हैं। चूंकि कारण बताओ नोटिस प्रारंभ में ही गलत था, इसलिए अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार एक बार फिर से कारण बताओ नोटिस जारी करें। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए हमारी राय है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। यद्यपि रिट याचिका अपील दाखिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल की गई है, फिर भी हमारी राय है कि असाधारण मामलों में जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त के आलोक में, दिनांक 06.08.2024 का एकतरफा आदेश रद्द किया जाता है। और निरस्त किया जाता है। विभाग को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने और कानून के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

28 मार्च, 2026

आशुतोष पांडे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।